



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 723) पटना सोमवार 5 अक्टूबर 2020

खान एवं भूतत्व विभाग

शुद्धि पत्र

1 सितम्बर 2020

सं0-प्र0-01-रा0(वि0)-08/19-2513/एम0-खान एवं भूतत्व विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-3446/एम0 दिनांक 04.10.2019 में संलग्न अनुसूची 'क' का क्रमांक-32 में जिला खनन कार्यालय, मधेपुरा में पुनर्गठन/सृजन के फलस्वरूप पदबल स्तम्भ में पदबल टंकण भूलवश अंकित नहीं हो पाई है। उक्त के आलोक में जिला खनन कार्यालय, मधेपुरा (कंडिका-32) को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

कार्यालय का नाम	पूर्व से स्वीकृत पद का नाम	पूर्व से स्वीकृत पदबल	पुनर्गठन/सृजन के फलस्वरूप पद का नाम	पुनर्गठन/सृजन के फलस्वरूप पदबल
32. जिला खनन कार्यालय, मधेपुरा	खान निरीक्षक	01	खनिज विकास पदाधिकारी	01
	लिपिक	01	खान निरीक्षक	02
	जंजीरवाहक-सह-अनुसेवक	01	उच्चवर्गीय लिपिक	01
			निम्नवर्गीय लिपिक	02
			कार्यालय परिचारी	02

2. स्वीकृत्यादेश संख्या-3446/एम0 दिनांक 04.10.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 723-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>